न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 97 / 2010

Web Copy - Not Official

1. पूरणमल } पुत्रान मोतीलाल जाति खटीक निवासी सीसवाली तह0 मांगरोल
2. कृष्ण मुरारी } हाल मुकाम नयापुरा, अंता जिला बारां
3. कन्या बाई पुत्री मोतीलाल पत्नि टेकचन्द खटीक निवासी सीसवाली हाले मुकाम केशवरायपटन जिला बून्दी
4. धन्नी बाई पुत्री मोतीलाल पत्नि रामेश्वर खटीक निवासी सीसवाली हाल मुकाम कृषि विज्ञान केन्द्र के सामने बारां रोड कोटा
5. गीताबाई पुत्री मोतीलाल पत्नि मुरलीधर खटीक निवासी सीसवाली हाल मुकान श्योपुर कलां जिला श्योपुर मध्यप्रदेश
6. शांति बाई बेवा मोतीलाल खटीक निवासी सीसवाली हाल मुकाम नयापुरा अंता जिला बारां

.......वादीगण

♠ बनाम ♠

1. नवल पुत्र जगन्नाथ माली निवासी मालियों का मोहल्ला निवासी सीसवाली तह0 मांगरोल
2. रेखा बाई बेवा राकेश माली निवासी सीसवाली
3. कोमल बाई } पुत्रिया राकेश नाबा0 जर्ये वली माता रेखा बाई माली निवासी सीसवाली
4. भारती बाई }
5. विशाल पुत्र राकेश नाबा0 जर्ये वली माता रेखा बाई बेवा राकेश माली निवासी सीसवाली
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

<u>वाद वास्ते अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92, 92 A व 188 आर0टी0एक्ट0</u>

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादीगण : श्री महेन्द्र सिंह हाडा

वकील प्रतिवादीगण कम 1 ता 5 : श्री अजीत कुमार जैन

दायरा दिनांक: 16.09.2010

निर्णय दिनांक : 08.02.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण के खातेदारी की आराजी सम्वत 65–68 जमाबंदी के अनुसार खसरा नं0 991 / 5712 रकबा 0.96 है0 वाके माल सीसवाली में अवस्थित है। प्रतिवादीगण के खाते की आराजी सम्वत 2065–68 के अनुसार खसरा नं0 1014 / 5928 रकबा 0.80 है0

[illegible] सीसवाली में अवस्थित हैं। आराजी खसरा नं0 991/5712 रकबा 0.96 है0 के साबिक खसरा नं0 [illegible] रकबा 90 बीघा 11 बिस्वा वादी क्रम 1, ता 5 के पिता एवं वादनी क्रम 6 के पति मोतीलाल पुत्र [illegible] खटीक निवासी सीसवाली को खसरा नं0 474/21 रकबा 6 बीघा भूमि आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 29.12.1975 को आवंटन की थी जिस पर मोतीलाल जीवन पर्यन्त काबिज काश्त रहा और उसकी मृत्यु के बाद वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। वादी क्रम 1 ता 5 के पिता व वादनी क्रम 6 के पति मोतीलाल की मृत्यु के बाद इन्तकाल नं0 1290 दिनांक 20.07.2010 से खसरा नं0 991/5712 रकबा 0.96 है0 वादी के खाते दर्ज की गई है। बाद सेटलमेंट 474/21 रकबा 6 बीघा भूमि के हाल खसरा नं0 991/5712 रकबा 0.96 है0 बने है जो वादीगण की खातेदारी में दर्ज की गई है। लेकिन राजस्व अधिकारियो ने उनकी गलफत और लापरवाही के कारण वादीगण के खाते में दर्ज खसरा नं0 991/5712 को हाल नक्शा में आवंटन के बाद दखल दिये गये एवं कब्जा दिये गये स्थान पर दर्ज नही कर अन्य स्थान पर दर्ज की गई है एवं वादीगण को दखल एवं कब्जा दिये गये स्थान पर हाल खसरा नं0 1014/5928 रकबा 0.80 है0 हाल नक्शा में दर्ज की गई है खसरा नं0 1014 को शेष रकबा 0.17 है0 सिवायचक दर्ज कर दिया गया है। अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर इस आशय की डिक्री फरमायी जावे कि वादपत्र में वर्णित आराजी खसरा नं0 991/5712 रकबा 0.96 है0 को वर्तमान नक्शे में खसरा नं0 1014/5928 रकबा 0.96 है0 के स्थान पर दर्ज किया जावे एवं खसरा नं0 991/5712 रकबा 0.96 है0 का वादीगण को खातेदार दर्ज किया जावें। तथा खसरा नं0 1014/5928 रकबा 0.80 है0 को नक्शे में खसरा नं0 991/5712 के स्थान पर रकबा 0.80 है0 दर्ज किया जावे एवं शेष रकबा 0.16 है0 सिवायचक दर्ज किया जावे एवं प्रतिवादीगण को उक्त भूमि का राजस्व रेकार्ड एवं हाल नक्शा में अमल दरामद किया जावे एवं प्रतिवादीगण को उक्त भूमि का खातेदार टेनेन्ट घोषित किया जावें। वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादीगण खसरा नं0 1014/5928 रकबा 0.80 है0, खसरा नं0 1014 रकबा 0.16 है0 कुल 0.96 है0 पर वादीगण का कब्जा है उस स्थान पर एवं हाल नक्शा में खसरा नं0 991/5712 रकबा 0.96 है0 दर्ज होने के बाद भी वादीगण को उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक तरीके से कब्जा काश्त बना रहने दे। उसके कब्जा काश्त में प्रतिवादी दखलअंदाजी ना तो स्वयं करे और ना ही अपने प्रतिनिधी से करावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 16.09.2010 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी क्रम 1 की और से जर्ये वकील अजीत जैन ने वकालत नामा प्रस्तुत किया तथा जवाब दावा पेश किया। जिसमे प्रतिवादी द्वारा वादी के द्वारा की गयी प्रार्थना अस्वीकार की है एवं विशेष कथन पेश किया है प्रतिवादी क्रम 1 के काउण्टर क्लेम व विशेष कथन

...ने वादी द्वारा जवाबुल जवाब एवं काउण्टर क्लेम का जवाब वादगण की और से पेश किया गया ... प्रतिवादीगण की प्रार्थना अस्वीकार है।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो एवं प्रदर्शो के ...आधार पर वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आराजी खसरा नं0 991/5712 रकबा 0.96 है0 को वर्तमान नक्शे में खसरा नं0 1014/5928 रकबा 0.96 है0 के स्थान पर दर्ज किया जावे एवं खसरा नं0 991/5712 रकबा 0.96 है0 का वादीगण को खातेदार दर्ज किया जावें। तथा खसरा नं0 1014/5928 रकबा 0.80 है0 को नक्शे में खसरा नं0 991/5712 के स्थान पर रकबा 0.80 है0 दर्ज किया जावे एवं शेष रकबा 0.16 है0 सिवायचक दर्ज किया जावे एवं प्रतिवादीगण को उक्त भूमि का राजस्व रेकार्ड एवं हाल नक्शा में अमल दरामद किया जावे एवं प्रतिवादीगण को उक्त भूमि का खातेदार टेनेन्ट घोषित किया जाता है। वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीगण की आराजी में प्रतिवादीगण दखलअंदाजी ना तो स्वयं करे और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया।

(